# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–155 / 2022
अवधेश पासवान
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| आदेश की क्रम–संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । |
|---|---|---|
| 20.02.2023 | प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 3621 / 2020 में दिनांक–04.07.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वाद संख्या–61 / 2014 में दिनांक–27.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 04.07.2022 में अंकित है कि–<br><br>**" The petition is dismissed as withdrawn with the liberty to the petitioner to prefer an application for revision within a period of 30 days.**<br>**If such a revision petition is filed within the aforesaid period, the revisional authority shall take up the petition and after giving reasonably sufficient opportunity to the petitioner to represent his cause, shall dispose of the revision petition within a further period of 60 days.**<br>**The order so passed by the revisional authority shall be backed by the reasons in support of the same.**<br>**The petition stands disposed of."**<br><br>उपर्युक्त के आलोक मे पुनरीक्षण वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना गया।

वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि श्री अवधेश पासवान, ग्राम–बिजबनी दक्षिणी, प्रखंड–बनकटवा, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता थें। उनकी अनुज्ञप्ति संख्या–12/2007–08 थी। दिनांक–12.12.2014 को समय–01:00 बजे अपराह्न में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनकटवा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की गयी। जाँच के क्रम में दुकान बंद पायी गयी तथा पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित पाये गये। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनकटवा के जाँच प्रतिवेदन के आधाार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के ज्ञापांक 318 दिनांक 16.12.2014 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसमें निम्न अनियमितताएँ उल्लेखित की गई :–

(1) आपकी दुकान बंद पायी गई एवं आप अनुपस्थित पाये गए।

(2) सूचना पट्ट प्रदर्शित था परंतु अद्यतन संधारित नहीं था।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा जून, जूलाई तथा अगस्त–14 का राशन नहीं दिया गया है।

(4) आपके द्वारा खाद्यान्न का निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिया जाता है।

(5) किरासन तेल निर्धारित मात्रा से कम 2.5 लीटर दिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 29.12.2014 को स्पष्टीकरण का जवाब बिन्दुवार समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित जवाब असंतोषजनक, मनगढ़न्त एवं असत्य पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के पत्रांक 07/आ0 दिनांक 03.01.2015 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के उक्त आदेश के विरूद्व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के न्यायालय में अपील वाद सं0–61/2014 दायर किया गया। समाहर्त्ता पूर्वी चम्पारण ने भी अपने आदेश दिनांक 27.08.2019 द्वारा

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 3621/2020 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) पुनरीक्षणकर्ता एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे, जिन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटि के अंतर्गत अनुज्ञप्ति सं0–12/2007–08 प्रदान की गई थी।

(ii) निम्न न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के कारण पृच्छा के जवाब पर विचार नहीं किया गया। विक्रेता के पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण आनन–फानन में इलाज कराने हेतु चिकित्सक के यहां चले गये जिसके कारण दुकान बंद था और पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित था।

(iii) दुकान बंद होने के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जा सकता, जो माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2012 (3) P.L.G.R Page-583 से स्पष्ट है।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नियमित रूप से राशन बांटा जाता था और जून, जुलाई एवं अगस्त–2014 का राशन पहले ही बांटा जा चुका था।

(v) माप–तौल का सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाता है, तो कम मात्रा में आपूर्ति करने का सवाल ही नहीं उठता है।

(vi) जब दुकान बंद था एवं पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित था तो पंजी कैसे दिखाया जाता।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मुजफ्फरपुर के अनुसार जांच के क्रम में कार्य अवधि में दुकान बंद पाया जाना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में किरासन तेल देना, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना आदि स्पष्ट करता है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के प्रावधान एवं अनुज्ञप्ति में

WEB COPY NOT OFFICIAL

अंकित शर्तो का उल्लंधन किया गया हैं। इस तरह निम्न न्यायालय का आदेश पूरी तरह विधि सम्मत् है।

उभय पक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनकटवा द्वारा दिनांक–12.12.2014 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जांच की गयी। जांच में पायी गयी अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के ज्ञापांक–318 दिनांक–16.12.2014 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण का मांग किया गया। जांच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना ढ़ाका के ज्ञापांक–07 दिनांक 03.01.2015 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उनके रद्दीकरण आदेश के विरूद्व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अपील वाद सं0–61/2014 दायर किया गया। समाहर्ता द्वारा दिनांक–27.08.2019 को अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश से उनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना ढ़ाका एवं समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण ने सभी वैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि दुकान बंद होने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द नहीं किया जा सकता, से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सर्वप्रथम इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया गया है कि अपनी पत्नी को इलाज कराने हेतु चिकित्सक के पास ले गये थे जिस कारण जाँच की तिथि को उनकी दुकान बंद थी, जो ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 15(i) के प्रतिकूल है। उक्त नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूची 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है। अनुज्ञप्तिधारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| | की किसी विशेष परिस्थिति में दुकान पर नहीं रह पाने की स्थिति के लिए ही उक्त प्रावधान किया गया है।<br><br>पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ अपनी पत्नी के इलाज से संबंधित चिकित्सीय पूर्जा संलग्न नही किया गया था, और न ही चिकित्सा स्थान का जिक्र किया गया था, इससे उनका यह जवाब संदेहास्पद हो जाता है।<br><br>इसी प्रकार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बरती गई अन्य अनियमितता जैसे खाद्यान्न उठाव कर वितरण नहीं करना, निर्धारित मात्रा से कम किरासन तेल देना तथा अधिक राशि लेना जैसा कृत्य ''बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016'' के नियम 14(i),(iv) के प्रतिकूल एवं **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01** में पारित न्यायादेश का उल्लंघन है। अन्य सभी आरोप भी प्रमाणित है।<br><br>उपर्युक्त के आलोक में समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–4144 दिनांक–02.09.2019 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, ढ़ाका के आदेश ज्ञापांक–07 दिनांक–03.01.2015 द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है।<br><br>**लेखापित एवं संशोधित**<br><br>**आयुक्त** **आयुक्त** | |

WEB COPY NOT OFFICIAL